65

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R4173-2016 /2016 पुनरीक्षण

1. वीरन पिता बारेलाल आदिवासी
2. मजली बहू बेवा बारेलाल आदिवासी
3. नब्बे पिता स्व.बारेलाल आदिवासी
4. रामवती पिता स्व.बारेलाल आदिवासी

सभी निवासी ग्राम पिपरिया गौड़

तहसील खुरई, जिला–सागर म.प्र.

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला–सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 73 अ/21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12/11/2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, आवेदकगण ग्राम–पिपरीया गौंड के निवासी है ग्राम पिपरीया गौंड पटवारी हल्का नम्बर–60 तहसील खुरई की भूमि सर्वे क्रमांक–72 क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर–74 क्षेत्रफल 0.43 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक–53 क्षेत्रफल 2.020 हैक्टेयर के आवेदकगण अभिलिखित भूमि स्वामी है उक्त भूमि आवेदकगण को पूर्वाधिकारी बारेलाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी थी राजस्व अभिलेखो में आवेदकगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है।

2. यह कि, आवेदकगण को अपनी तथा परिवार की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता थी अतः आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदकगण ने अपनी उपरोक्त भूमि में से 1.23 हैक्टेयर भूमि नरेन्द्र सिंह पिता टीकम सिंह निवासी–पिपरीया गौंड को विक्रय करने के लिये इकरारनामा निष्पादित किया था विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य 450000 में से आवेदकगण ने प्रस्तावित क्रेता से 300000 रूपये इकरारनामा के समय प्राप्त कर लिये तथा शेष राशि के लिये निश्चित हुआ कि विक्रय पत्र

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4173-I/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला–सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 73 अ/21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12/11/2016 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहां जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया था कि ग्राम पिपरीया गौंड, पटवारी हल्का नम्बर–60 तहसील खुरई, जिला–सागर की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 72, 74 एवं 53 उनकी पैतृक भूमि है जो बारेलाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी है आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा–165 (6) के अंतर्गत आवेदन देकर अपनी उक्त भूमि में से 1.23 हैक्टेयर भूमि नरेन्द्र सिंह पिता टीकमसिंह निवासी–ग्राम पिपरीया गौंड को विक्रय करने के लिये अनुमति चाहीं थी। जिसे कलेक्टर ने अपने विवादित आदेश ने निरस्त किया है। 3– आवेदकगण ने अपने पुनरीक्षण आवेदन के साथ कलेक्टर के समक्ष दिये गये आवेदन की प्रति, उक्त आवेदन पर स्थानीय जाच के बाद अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन से संबंधित जांच प्रक्रिया में प्राप्त की गयी जानकारियो की प्रति एवं आदेश पत्रिका की प्रति भी प्रस्तुत की है। कलेक्टर ने आवेदको के आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया है कि आवेदकगण यह नहीं बता सके है कि भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा तथा उन पर बैंक का कितना ऋण शेष है।	

R 4173-I/16

4– आवेदकगण के विद्यवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तत तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो का अवलोकन किया। आवेदको द्वारा दिये गये आवेदन को अस्वीकार करने के लिये कलेक्टर ने अपने आदेश में मुख्यतः 2 कारण दिये है पहला कारण यह रहा है कि आवेदकगण पर बैंक का कितना कर्ज है यह नहीं बताया गया है और दूसरा कारण यह की आवेदकगण विक्रय से प्राप्त राशि का कौन से कृषि कार्य में उपयोग करेंगे यह भी नहीं बताया गया है।

5– आवेदकगण के अभिभाषक ने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किये गये पटवारी हल्का नम्बर–60 के प्रतिवेदन की प्रति का अवलोकन कराया जिसमें पटवारी ने स्पष्टतः प्रतिवेदित किया है कि आवेदकगण पर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का लगभग 75000 रूपये का ऋण शेष है एवं तर्क दिया कि आवेदकगण ने अपने मूल आवेदन में ही लिखा था कि आवेदकगण ग्राम पिपरीया गौंड में ही 2 एकड़ भूमि क्रय करना चाहते है। जिसके लिये उन्हें धन की आवश्यकता होने से उन्होने नरेन्द्र सिंह पिता टीकमसिंह के साथ अपनी भूमि में से 1.23 हैक्टेयर भूमि विक्रय करने का अनुबंध करके 300000 रूपये अग्रिम प्राप्त भी कर लिये है। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पटवारी के प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्रो तथा बैंक का ऋण होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद भी कलेक्टर ने आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है।

6– इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो से स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक ने जिस भूमि को विक्रय करने के लिये अनुमति चाहीं थी वह भूमि आवेदको को बारेलाल से उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी है विक्रय की अनुमति के लिये दिये गये आवेदन में आवेदको ने स्पष्टतः लिखा था कि उन पर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खुरई का ऋण है इस तथ्य की पुष्टि पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन से होती है जिसमें 75000 रूपये का आवेदको पर ऋण होना प्रतिवेदित किया गया था। अनुमति हेतु आवेदको ने दूसरा कारण यह बताया था कि वे अपनी भूमि बेचकर

गौरीहार ग्राम में ही अन्य भूमि लेना चाहते है। जिसके लिये उन्हें धन की आवश्यकता थी अतः उन्होंने नरेन्द्र सिंह से विक्रय से इकरारनामा करके 300000/–रूपये अग्रिम ले लिये यदिकलेक्टर क`मत में आवेदकों द्वारा दर्शायी गयी आवश्यकता पर कोई स्पष्टीकरण जरूरी था तब उन्हें आवेदको से इस संबंध में स्वयं जानकारी लेना थी आवेदको नेकलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपने कथन भी अंकित कराये थे।

7– मेरे मत में आवेको ने अपनी भूमि के विक्रय करने के लिये स्वेच्छा से अनुमति प्राप्त करने का आवेदन दिया था जिस पर पटवारी एवं तहसीलदार ने विस्तर से प्रत्येक बिन्दू पर जांच की है और अपना प्रतिवेदन दिया है प्रतिवेदन में कोई भी ऐसा बिन्दु परिलक्षित नहीं होता है जिसे आवेदन को नरस्त करने का आधार बनाया जा सके। संहिता की धारा–165 (6) द्वारा दिये गये विचाराधिकार के अंतर्गत कलेक्टर को यह देखना आवश्यक है कि आदिवासी की भूमि को अन्य वर्ग का व्यक्ति छल अथवा कपट करके प्राप्त तो नहीं कर रहा जबइस प्रकरण में आवेदकगण निरन्तर प्रयास कर रहे है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जायें तथा कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकरउन्होंने अपने आवेदन को स्वीकारकरने की प्रार्थना की थी तब संहिता के उक्त प्रावधान की विधिवत पुष्टि हो जाती है ओर ऐसे आवेदन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवेदको कोउनके अधिकार से वंचित किया जाना भी विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना तथा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर यह निगरानी कार आवेदन स्वीकार किया जाता है । कलेक्टर जिला सागर का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुये आवेदकों को अपनी भूमि सर्वे कमांक 72, 74, एवं 53 में से 1.23 हैक्टर भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य